उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं0 /2009/यू0ओ0 22/XXVII(8)/2009
दिनांक:: देहरादून :: 17 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01–08–2009 से प्रभावी उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–I के कमांक 44 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात–

"निम्न लिखित रसायनिक उर्वरकों का पौटाश एवं फॉस्फेटिक कम्पोनेन्ट–

(1) डी0ए0पी0 (18:46:0), (2) एम0ओ0पी0, (3) एस0एस0पी0 (4) एन0पी0के0 (12:32:16)/(20:20:0)/(15:15:15)/(23:23:0)/(14:35:14)/(20:20:10)/(10:26:26)"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 722/2009/यू0ओ0 22/XXVII(8)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250/250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–गार्ड फाईल हेतु/ एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(सी0एस0समवाल)
अपर सचिव, वित्त,